

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 927] No. 927] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2017/कार्तिक 23, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2017/KARTIKA 23, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सं. 46/2017-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1405(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर), जिसे सा.का.नि. संख्या 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग ॥, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है. अर्थात:-

## उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -

- (i) क्रम सं. 3 के समक्ष, मद (vi) में, कॉलम (3) में शब्द "की गई हो" के स्थान पर "की गई केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा परिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम सं. 7 के समक्ष,-
  - (क) कॉलम (3) की मद सं. (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

6692 GI/2017 (1)

(3)	(4)	(5)
"(i) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हों, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता है, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाचं सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष ।  स्पष्टीकरणः- "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)";

(ख) कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हों, जहां कि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, अस्थिगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता है, जो कि किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पांच सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष ।	9	-";

स्पष्टीकरण:- "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना।

- (ग) कॉलम (3) की मद सं. (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, को निरसित कर दिया जाएगा;
- (घ) मद (ix) में, कालम (3) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -"(ix) आवास , भोजन ओर पेय सुविधाएं जो कि उपर्युक्त (ii), (iii), (v), (vi), (vii) और (viii) से भिन्न हों ।

स्पष्टीकरण.- किसी भी प्रकार के संदेह के समाधान के लिए एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थिगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता है, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पांच सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष पर उपर्युक्त मद (i) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 2.5 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय कर लगाया जाएगा न कि उस दर से जो कि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।"

- (iii) क्रम सं. 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उप-मद (ज) के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-
  - "(झ) हस्तशिल्प वस्तुओं का विनिर्माण;

स्पष्टीकरण- ''हस्तिशिल्प वस्तुओं'' का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं. 32/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 15 सितंबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1158(अ), दिनांक 15 सितंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, समय-समय पर यथा-संशोधित, में दिया गया है।''

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/173/2017-टीआरयू] रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना को 11/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 31/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 13 अक्तूबर, 2017, सा.का.िन. 1273(अ) दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

### MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Revenue)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th November, 2017

## No. 46/2017-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 1405(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against serial number 3, in column (3), in item (vi), for the words "Services provided", the words "Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, provided" shall be substituted;
- (ii) against serial number 7,-
  - (a) for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)	
"(i) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent.  Explanation "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)].";	

(b) for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent.  Explanation "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.	9	

- (c) the item (iv) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), shall be omitted;
- (d) in item (ix), in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-
- "(ix) Accommodation, food and beverage services other than (ii), (iii), (v), (vi), (vii) and (viii) above.

Explanation.- For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent shall attract central tax @ 2.5% without any input tax credit under item (i) above and shall not be levied at the rate as specified under this entry.";

- (iii) against serial number 26, in column (3), in item (i), after sub-item (h), the following shall be inserted, namely: -
  - '(i) manufacture of handicraft goods.

*Explanation.* - The expression "handicraft goods" shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. 32/2017 -Central Tax, dated the 15th September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1158 (E), dated the 15th September, 2017 as amended from time to time.'

2. This notification shall come into force with effect from 15<sup>th</sup> of November, 2017.

[F. No.354/173/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 11/2017 - Central Tax(Rate), dated the 28<sup>th</sup>June, 2017, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by notification No. 31/2017-Central Tax (Rate) dated the 13<sup>th</sup> October, 2017 *vide* number G.S.R. 1273(E), dated the 13<sup>th</sup> October, 2017.

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

# सं. 47/2017-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1406(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (क) क्रम सं. 11क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:"कमीशन या मार्जिन के रूप में किसी प्रतिफल के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान, मिट्टी का तेल,
  चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ-राज्य को उचित दर दुकानों के द्वारा प्रदान
  की जाने वाली सेवा।";
- (ख) क्रम सं. 11ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ग) क्रम सं. 79 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"79क	शीष 9996	प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत या किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत घोषित संरक्षित स्मारक में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं"।

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/173/2017-टीआरयू] रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना को 12/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 32/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 13 अक्तुबर, 2017, सा.का.िन. 1274(अ) दिनांक 13 अक्तुबर, 2017 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।